न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 134/2017

देवीलाल पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी बहरामपुर बोदला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थी

बनाम

1. कान्ता देवी पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी बहरामपुर बोदला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सादुलशहर। —— रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर दिनांक 08.03.2017

उपस्थितः—

श्री मोहनलाल माहर अभिभाषक अपीलांट

श्री मनोहरलाल सहारण अभिभाषक रेस्पों.

श्री इकबालसिंह सिद्धू राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 19.12.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पों. सं. 1 ने उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर चक 24 एमजेडी के प.नं. 82/183 के मु.नं. 27 के किला नं. 21, 22 में पश्चिम से पूर्व 2–2 विस्वा अर्थात 0.0250–0.0250है0 रास्ता मंजूर किया जाकर कुल 4 विस्वा अर्थात 0.0500है0 रकबा की डी.एल.सी. दर की दुगनी रकम जमा करवाकर उक्त रकबा रास्ता के रूप में दर्ज किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे करने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 1/अपीलांट व स्टेट ने प्रा.पत्र का जबाब पेश किया। सुनवाई करने के पश्चात उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर ने दिनांक 08.03.2017 को प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार कर चक 24

19/12/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

एमजेडी के प.नं. 82/183 के मु.नं. 27 के कि.नं. 21, 22 के दक्षिण दिशा में पश्चिम से पूर्व 2–2 विस्वा कुल 4 बिस्वा रास्ता स्वीकृत कर रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये। उक्त आदेश से व्यथीत होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधी. न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध, कानून के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया है। अपीलांट द्वारा स्पष्ट जबाबदेही के अनुसार रेस्पों. को अपनी कृषि भूमि में आने–जाने हेतु मु.नं. 30 के कि.नं. 3, 8 , 13, 18, 23 में रास्ता दे रखा है तो पुनः मु.नं. 27 के कि.नं. 21, 22 में रास्ता स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं थी। अपीलांट द्वारा आदेश की जानकारी होने पर धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रा.पत्र मय शपथ पत्र सहित अपील पेश की है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जावे। अपने कथनों कें समर्थन में वकील अपीलांट ने 2017(1) आर.आर.टी. 342 , 2017(1) आर.आर.टी. 423 की नजीरें पेश की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। वकील रेस्पों. ने कथन किया कि अपीलार्थी ने दफा 5 मियाद अधि. के प्रा.पत्र में यह तथ्य दर्ज नहीं किया है कि किस तारीख से किस तारीख की अवधि को कन्डोन किया जावे। अतः अपील मियाद के बिन्दू पर एवं गुणावगुण पर खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 08.03.2017 के विरूद्ध दिनांक 12.09.2017 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर किया है। अतः न्यायहित में अपीलांट का दफा 5 का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है।

19/12/17

राजस्व अपील प्राधिकारी

अपील अधी.न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के निर्णय दिनांक 08.03.2017 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा रेस्पों. की खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत किया है। रेस्पों. को अपनी कृषि भूमि में पंहुचने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

रेस्पों. अभिभाषक द्वारा दौराने बहस सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 का प्रा. पत्र पेश कर अपीलांट के साथ हुए इकरारनामे की प्रति पेश कर निर्णय हेतु पत्रावली पर लेने का अनुरोध किया जिसका प्रतिकार अपीलांट द्वारा किया जाकर जाहिर किया कि सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 का प्रा.पत्र स्वीकार करने के लिए नियम 41(27A) व 27AA के mandatory प्रावधानों की पालना जरूरी है जो नहीं की है। अतः प्रा.पत्र खारिज करने का अनुरोध किया। उभयपक्ष को सुनकर रेस्पों. का प्रा.पत्र अन्तर्गत सिविल प्रकिया संहिता आदेश 41 नियम 27 स्वीकार किया जाता है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधी. न्यायालय द्वारा प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज.काश्त.अधि. 1955 के तहत तहसीलदार सादुलशहर की रिपोर्ट कमांक/राजस्व/2017 दिनांक 08.02.2017 के आधार पर स्वीकृत किया है जो पटवारी बहरामपुरा बोदला की मौका फर्द आधारित है तथा अपील मीमों के बिन्दू संख्या 2(ग) में जिस वकैल्पिक रास्ते का हवाला दिया है बाबत अपीलांट ने फार्म संख्या 3 के साथ अपीलांट के प्रा.पत्र पर पटवारी हल्का बहरामपुरा बोदला की रिपोर्ट कि चक 24MJD के मु.नं. 30 के कि.नं. 3, 8, 13, 18, 23 में मौके पर रास्ता चल रहा है। राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं है, के अलावा पटवारी हल्का बहरामपुरा बोदला की दैनिक डायरी की दिनांक 18.12.17 की छायाप्रति पेश की जिसमें अंकित किया है कि चक 24MJD मु.नं. 30 के कि.नं. 3, 8, 13, 18, 23 में चल रहे रास्ते की तसदीक करने बाबत चक 24MJD के मु.नं. 30 पर पंहुचा मौके पर मु.नं. 30 के कि.नं. 3, 8, 13, 18 व 23 में घरेलू रास्ता चल रहा है। राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं है। अधी. न्यायालय में प्रा.पत्र के जवाब के बिन्दू संख्या 4 में दर्शाया है कि रेस्पों. को घरेलू तौर पर रस्ता दिया हुआ है। चूंकि परम्परागत

19/12/17

रास्तों एवं घरेलू तौर (Mutal understanding) के रास्तों की समस्याओं के स्थाई समाधान हेतु राज.काश्त.अधि. 1955 की धारा 251ए का संशोधन होकर रास्ता स्वीकृति की विधि का समावेश किया है। अतः प्रकरण हाजा का रास्ता स्वीकृति आवश्यकता को मध्यनजर होना होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधी. न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/12/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर